भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:1116
24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में संशोधन

†1116. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने 4 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन की समीक्षा को मंजूरी दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन की समीक्षा के संबंध में मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के निर्णय को लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का 4 मार्च 2025 को मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की समीक्षा को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा बढ़ाई गई कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन की संशोधित दर के संवितरण में हुई देरी के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त निर्णय के अनुसार राशि वितरित करने के लिए केरल सरकार को धनराशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आशाकर्मियों को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन सीमा के अंदर में होती है।

आशाकर्मियों को नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आशा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर नई गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के

तहत इन आशाकर्मियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा निम्नलिखित यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/New-Update-2025-26/ASHA-incentive/ASHA%20Incentives.pdf

एनएचएम के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त, आशाकर्मियों को एनएचएम के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि के पूरक के रूप में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर अतिरिक्त रूप से टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (प्रति माह 1000रू. तक) प्राप्त करने की पात्र हैं। आशाकर्मी गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों यथा आशा वर्दी, पहचान पत्र, सीयूजी सिम, आशा डायरी, आशा विश्राम कक्ष आदि की भी हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा आशाकर्मियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे आशाकर्मियों को ₹20,000/- की नकद पुरस्कार राशि तथा एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है, जिन्होंने आशा के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत कार्यक्रम छोड़ा है।

वर्ष 2018 में, आशा के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये के लाभ (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में दुर्घटना मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता होने पर 2.00 लाख रुपए के लाभ; आंशिक दिव्यांगता होने पर 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान) शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रतिमाह के पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और लाभार्थियों द्वारा 50%) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मियों को स्पष्ट पात्रता मानदण्डों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आशाकर्मियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य परिचर्या वार्षिक कवरेज प्रदान किया गया है।

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन स्टीयरिंग ग्रुप (एमएसजी) की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर आशाकर्मियों को दिए जाने वाले कार्यक्रम-विशिष्ट प्रोत्साहनों को संशोधन/नए प्रोत्साहनों को शामिल करने की कार्यवाही की गई है। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के अंतर्गत, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) कार्यक्रम में शामिल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रोत्साहन राशि को लगभग 1,000 की जनसंख्या अथवा लगभग 250 परिवारों वाले एक गांव के लिए 3 दिनों हेतु ₹600 से बढ़ाकर 15 दिनों हेतु ₹3,000 कर दिया गया है।

परिवार नियोजन के अंतर्गत, मां और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था के बीच सही समय और अंतर को प्रोत्साहित करने हेतु आशाकर्मियों को देय प्रोत्साहन राशि को संशोधित किया गया है। पीपीआईयूसीडी/पीएआईयूसीडी इंसर्शन के लिए किसी लाभार्थी को लाने सुविधा उपलब्ध कराने पर देय प्रोत्साहन राशि ₹150 से बढ़ाकर ₹300 प्रति मामला कर दी गई है। इसी प्रकार, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए की चौथी खुराक के लिए आशाकर्मियों को देय प्रोत्साहन राशि ₹100 प्रति खुराक से बढ़ाकर

₹200 प्रति खुराक कर दी गई है। नयी पहल किट के वितरण हेतु प्रोत्साहन राशि को भी ₹100 से बढ़ाकर ₹200 प्रति किट कर दिया गया है, जबकि सास बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रोत्साहन राशि को ₹100 से बढ़ाकर ₹200 प्रति बैठक कर दिया गया है।

व्यापक गर्भपात देखभाल के तहत, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाएं (सर्जिकल विधि/गर्भपात की चिकित्सा विधियों द्वारा) प्राप्त करने के लिए महिलाओं के साथ जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन प्रोत्साहन शुरू किया गया है। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में शल्य चिकित्सा विधि (ऑपरेशन थिएटर में की जाने वाली) द्वारा गर्भपात कराने वाली महिला के साथ जाने पर ₹200 का परिवहन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। गर्भपात के चिकित्सीय तरीकों (एमएमए) द्वारा गर्भपात कराने की स्थिति में, ₹400 का परिवहन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रति विज़िट ₹200 की दर से अनिवार्य दो विज़िट शामिल हैं। एमएमए दवाएं पहली विज़िट के दौरान दी जाती हैं, जबकि दूसरी विज़िट के दौरान फॉलो-अप किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय पारिश्रमिक को कार्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस तरह के संशोधनों में सेवा प्रदायगी जिम्मेदारियों के विस्तार, नए स्वास्थ्य कार्यकलापों की शुरुआत, रोग भार में बदलाव और कार्यान्वयन, आउटरीच और सामुदायिक स्तर पर सेवा प्रदायगी में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखा जाता है। इन संशोधनों का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान केरल राज्य को केंद्र द्वारा जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

रुपये करोड़ में

क्रम संख्या	**वित्त वर्ष**	**केंद्र द्वारा जारी राशि**
1.	2023-24	189.15
2.	2024-25	1351.78
3.	2025-26	813.16

नोट: उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से संबंधित है और इसमें राज्य सरकार का भाग शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केरल राज्य द्वारा आशा प्रोत्साहन (जिसमें आशा प्रमाणन और आशा लाभ पैकेज शामिल हैं) पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है:

रु. लाख में

क्रम संख्या	**वित्त वर्ष**	**व्यय**
1.	2023-24	6819.57
2.	2024-25	8533.51
3.	2025-26	8364.52

नोट: व्यय में केंद्र द्वारा जारी की गई निधि, राज्य द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची निधि का व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफ़एमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
